न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

नं. 02/25

सीएमएस : 2025/02

1. मक्खन सिंह पुत्र श्री पाल सिंह जाति रायसिख निवासी 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

—:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट,

तारीख रजू:— 07.01.2025

उपस्थित:

1. श्री परविन्द्र बिश्नोई अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी।

—निर्णय— दिनांक : 20.02.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा आंवटन पत्रावली संख्या 63/2005 के निर्णय दिनांक 21.09.2007 के द्वारा वाके चक 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 07 की 3.163 है0 बारानी भूमि व मु.नं. 57 की 1.202 है0 बारानी भूमि कुल 4.365 है0 बारानी भूमि को टी सी से पुख्ता आवंटन किया गया, जिसमें वादी मक्खन सिंह पुत्र पाल सिंह के साथ उसकी पत्नी काको बाई को भी संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सहबन गलती से समस्त 4.365 है0 भूमि मक्खन सिंह पुत्र पाल सिंह के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई है उक्त इन्द्राजात में काको बाई पत्नी मक्खन सिंह का नाम दर्ज होने से रह गया। वादी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु कार्यवाही जेरोकार की तो वादी को ज्ञान हुआ कि उपरोक्त समस्त 4.365 है0 भूमि का संयुक्त आवंटन मक्खन सिंह व काको बाई को हुआ था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में एकल नाम मक्खन सिंह के नाम से दर्ज होने के कारण खातेदारी प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इस सम्बन्ध में जमाबन्दी में नाम दुरूस्ती हेतु वादी द्वारा दिनांक 14.10.2024 को एक आवेदन पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें श्रीमान तहसीलदार के आदेशानुसार हल्का पटवारी 43 पी.एस द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर श्रीमान तहसीलदार द्वारा प्रकरण को सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश कर ही अपना अनुतोष प्राप्त करने का आदेश दिया, यही बिनाये मुखास्मत वाद है, इसलिए वादी के पास न्यायालय में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, यही वाद कारण है। वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी के पक्ष में डिक्री करने की कृपा करें कि वाके चक 43 पी.एस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 की 3.163 है0 बारानी भूमि व मु.नं. 57 की 1.202 है0 बारानी भूमि कुल 4.365 है0 बारानी भूमि में मुझ वादी के साथ संयुक्त रूप में मेरी पत्नी काको बाई पत्नी मक्खन सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोडे जाने के आदेश दिये जावें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह वादी को दिलाया जावे।

वादी के द्वारा वाद—पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बंधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। सरकार की तरफ [illegible] तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/6316 दिनांक 18.11.202[illegible] रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 43 [illegible] मु.नं के प.नं. 275/317 किला नं. 13/2/0.127 है0, 14 ता 25/3.036 [illegible] 3.163 है0 बारानी तथा मु.नं. 57 प.नं. 280/324 कि.नं. 1 ता 4/1.012, 5/0.190 है0 कुल 1.202 है0 बारानी इस कुल 4.365 है. बारानी भूमि मक्खनसिंह पुत्र पाल सिंह जा[illegible] रायसिख सा. 43 पी.एस गैरखातेदार दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर के आवंटन आदेश/गंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

कैनाल/23/18.01.2018 द्वारा उक्त रकबा मक्खन सिंह पुत्र पाल सिंह जाति रायसिख सा. 43 पी.एस संयुक्त पत्नी काको बाई पत्नी मक्खन सिंह को टी सी से पुख्ता आंवटन हुआ था इंतकाल 508 चक 43 पी.एस. से उक्त आवंटन मक्खन सिंह पुत्र पालसिंह जाति रायसिख सा. 43 पी.एस. गैरखातेदार दर्ज हुआ है। इसमें आवंटन आदेश के अनुसार पत्नी का नाम दर्ज नहीं हुआ है जबकि आंवटन आदेश में पत्नी का नाम दर्ज करने के स्पष्ट आदेश है। अतः मुताबिक आंवटन आदेश जमाबंदी चक 43 पी.एस. के खाता संख्या 144 में मक्खन सिंह पुत्र पालसिंह, काको बाई पत्नी मक्खन सिह जाति रायसिख सा. 43 पी.एस. गैरखातेदार दुरूस्त कर दर्ज कर किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वाद–पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा स्थाई भूखण्ड आवंटन के विक्रय आदेश की छायाप्रति एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि आवंटन आदेश/गंग कैनाल/ 23/18.01.2018 द्वारा उक्त रकबा मखनसिंह पुत्र पालसिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. संयुक्त पत्नी मखनसिंह को टी.सी. से पुख्ता आवंटन है अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर, वादी के द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार परं प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 125–136 राजस्व भू अधिनियम 1956** भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर मुताबिक आवंटन आदेश आवंटन/गंग कैनाल/ 23 दिनांक 18.01.2026 के अनुसार जमाबंदी चक 43 पीएस के खाता संख्या 144 में इंतकाल 508 में मखनसिंह पुत्र पालसिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. गैरखातेदार दर्ज हुआ है उसके स्थान पर मखनसिंह पुत्र पालसिंह –काको बाई पत्नी मखनसिह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. गैरखातेदार की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु डिग्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner